संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पांचवी मंजिल, सतपुडा भवन, भोपाल - 462004
मेल -nursing.dhs@mp.gov.in दूरभाष 0755-2527165

क्रमांक :- 09/नर्सिंग/सेल-1एस/2018/एफ-57/ 416 भोपाल, दिनॉक 15/3/ 2019

//आदेश//

अंकिता सिकरवार स्टाफ नर्स के पद पर जय प्रकाश चिकित्सालय भोपाल में पदस्थ थी। कम्युनिटी हेल्थ नर्स ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करने के उपरांत काउंसलिंग कर उनकी पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगोरा जिला राजगढ की गई जिसके परिपालन में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय (जयप्रकाश अस्पताल) द्वारा आदेश दिनॉक 17.12.2018 द्वारा अंकिता सिकरवार को कार्यमुक्त किया गया । अंकिता सिकरवार ने आदेश दिनॉक 17.12.2018 की वैधानिकता एवं औचित्य को चुनोती देते हुए याचिका क्रमांक डब्लू.पी. 553/2019 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की।

अंकिता सिकरवार ने अपनी याचिका में लेख किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनॉक 08.10.2018 का निराकरण नही किया गया जिसमें उन्होने अपना पक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें विकल्प के आधार पर चुने गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आवंटित नही किया गया और साथ ही कम्युनिटी हैल्थ आफीसर का पद भी नही दिया गया इसलिये उन्होने संचालनालय स्वास्थ्य सवायें द्वारा जारी आदेश क्रमांक09/नर्सिंग/सेल-3/2018/778, दिनॉक 03.10.20128 को संशोधित करने का अनुरोध किया ।

अंकिता सिकरवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनॉक 08.10.2018 का निराकरण निम्नानुसार किया जाता है :-

1. श्रीमती अंकिता सिकरवार स्टाफ नर्स जिला चिकित्सालय भोपाल को संचालनालय के आदेश क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल-3/226/ दिनॉक 22.03.2017 द्वारा 6 माह का कम्युनिटी हैल्थ नर्स ब्रिज प्रोग्राम (सर्टिफिकेट कोर्स) प्रथम बैच मार्च 2017 से सितम्बर 2017 तक हेतु प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन आवंटित किया गया था। इग्नू ने इस बैच की दिसम्बर 2017 में परीक्षा आयोजित की तथा मार्च 2018 में परीक्षा परीणाम घोषित किये ।
2. प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं परीणाम घोषित होने के उपरांत संचालनालय के पत्र क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल-3/504 दिनॉक 13.06.2018 द्वारा पदस्थापना हेतु उत्तीर्ण स्टाफ नर्सेस को काउंसिल के लिये बुलवाया गया।
3. दिनॉक 19 जून 2018 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल में उपस्थित होकर अंकिता सिकरवार द्वारा स्वैच्छा से पदस्थापना हेतु चाही गई शासकीय संस्था के विकल्प के रूप में जिला राजगढ के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ, मलावर,कुरावर, कुरावर

Rohi

कोलरी, लखनवास का चयन कर पदस्थापना चाही थी। विभागीय मंशानुरूप सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण छात्राओं की नियुक्ति ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में की जाना थी जहां पर मेडिकल आफीसर के पद रिक्त हो। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अंकिता सिकरवार द्वारा भरे गये जिला राजगढ के वैकल्पिक स्थानों के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामगढ, मलावर,कुरावर, कुरावर कोलरी, लखनवास में चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त नही थे। जिला राजगढ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगोरा में मेडिकल आफीसर का पद रिक्त था । उक्त जिला राजगढ अंकिता सिकरवार द्वारा पदस्थापना हेतु भरा गया जिला है। विभाग द्वारा यथा सम्भव प्रयास किया गया था कि ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण छात्राओं ने काउंसलिंग में जो जिले एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भरे है और वहॉ चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है तो उन्हें उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्ति दी जायें । अंकिता सिकरवार द्वारा पदस्थापना हेतु भरा गया जिला राजगढ माननीय प्रधानमंत्री जी के महात्वाकांक्षी जिलों (ऐसपीरेश्नल डिस्ट्रिक्टस) में सम्मिलित है । इन जिलों में रिक्तयों की पूर्ति करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि उस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को तत्परता से पूर्ति की जा सकें । संचालनालय स्वास्थ्य सवायें द्वारा जारी आदेश क्रमांक 09/नर्सिंग/सेल-3/2018/778, दिनॉक 03.10.2018 द्वारा अंकिता सिकरवार की पदस्थापना जिला राजगढ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भगोरा जहां पर मेडिकल आफीसर पदस्थ नही है पर की गई । इसी प्रकार अन्य स्टाफ नर्सेस को भी उक्त आदेश क्रमांक 09/नर्सिंग/सेल-3/2018/778, दिनॉक 03.10.2018 द्वारा उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर पदस्थापना प्रदान की गई।

4. संचालनालय स्वास्थ्य सवायें द्वारा जारी आदेश क्रमांक 09/नर्सिंग/सेल-3/2018/778, दिनॉक 03.10.20128 द्वारा अंकिता सिकरवार की नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के आधार पर की गई थी :- (अ) अनुबंध अनुसार पदस्थ किये गये हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर में न्यूनतम 3 वर्ष तक कार्य करना हेतु अनुबंधित है। सेवा प्रदाय नही किये जाने की स्थिति में राशि रूपये 2.00 लाख अनुबंध अनुसार वसूला जायेगा। (ब) नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देना अनिवार्य है ।
5. संचालक नर्सिंग के पत्र क्रमांक नर्सिंग सेल-3/16/1001 दिनॉक 25.11.2016 में लेख है कि सफलतापूर्वक पाठयक्रम समाप्ति उपरांत उम्मीदवार को चिकित्सा विहिन स्वास्थ्य केन्द्रों में कम से कम 5 वर्ष हेतु कम्युनिटी हेल्थ आफीसर (सी.एच.ओ.) की पोस्टिंग दी जायेगी। अंकित सिकरवर प्रथम बैच से उत्तीर्ण है, इनके पदभार ग्रहण करने पर ही इन्हें कम्युनिटी हेल्थ आफीसर (सी.एच.ओ.) का पदनाम दिया जाता जैसा की विभाग ने अपने आदेश में लेख किया है।
6. स्टाफ नर्सेस द्वारा मांग गई कि पृथक से कम्युनिटी हेल्थ आफीसर (सी.एच.ओ.) के पदनाम का औपचारिक आदेश प्रसारित किया जाना चाहिए। इनकी मांग पर तत्काल

Rode

कार्यवाही संभव नहीं हो सकी क्योंकि तत्समय विधानसभा की आचार संहिता लागू थी, तदपश्चात् राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश ने आदेश क्रमांक एन.एच.एम./एच.आर./2019/233 दिनॉक 07.01.2019 जारी किया जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर पदस्थ ऐसी स्टाफ नर्स जिनके द्वारा निर्धारित ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण किया गया है उन्हे हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर पदस्थ रहने की अवधि तक कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर पदनाम से जाना जायेगा ।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अंकिता सिकरवार द्वारा दिया गया अभ्यावेदन दिनॉक 08.10.2018 को विचारोपरांत नियमानुसार एवं विधि सम्मत न होने के कारण अमान्य किया जाता है।

स्वा.आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित

(रूही खान)
अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 09/सेल-1/2018/ एफ-57/417 भोपाल, दिनॉक 15/3/ 2019

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश
4. संचालक, लीगल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश
5. क्षेत्रीय संचालक (लीगल) स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग,जबलपुर,मध्यप्रदेश
6. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश
7. प्रभारी अधिकारी एवं उप संचालक (नर्सिंग) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़/ भोपाल
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जयप्रकाश चिकित्सालय, जिला भोपाल
10. अंकिता सिकरवार पुत्री श्री भूरासिंह सिकरवार, हाउस नं 1, नगरनिगम वार्ड 24 आफीस के पास, प्रोफेसर कालोनी भोपाल ।
11. प्रभारी एम.आइ.एस., संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, कृपया उक्त आदेश को विभागीय साइड पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें ।
12. आदेश नस्ती

(रूही खान)
अपर संचालक (नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश